



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102025-267298
CG-DL-E-31102025-267298

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]
No. 318]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 30, 2025/ कार्तिक 8, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2025/ KARTIKA 8, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2025
सं. 27/2025-26

विषय: "हॉट डिप्लोमैट गैल्वेनाइज्ड टेंशन बार/गेट रॉड्स/ट्रस रॉड्स/ड्रॉप रॉड्स" के निर्यात के लिए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) सी676 में पुनः स्थापन और संशोधन।

क्रा. सं. 01/81/171/00014/एएम24-25/डीईएस-II.— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा "हॉट डिप्लोमैट गैल्वेनाइज्ड टेंशन बार/गेट रॉड्स/ट्रस रॉड्स/ड्रॉप रॉड्स" के निर्यात के लिए निलंबित मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) सी676 को निम्नानुसार पुनः स्थापित और संशोधित करते हैं:

एसआइ. सं.	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	क्षति की अनुमति
सिओन सी676	हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड टेंशन बार/गेट रॉड्स/ट्रस रॉड्स/ड्रॉप रॉड्सफ।	1000 कि.ग्रा	उपयोगी स्क्रेप/बिलेट कटिंग का री-रोलेबल स्क्रेप अथवा एमएस बिलेट्स/ब्लूमस अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात तार रॉड्स 99.99% शुद्धता वाला जिंक	निर्यात उत्पाद में अनगैल्वेनाइज्ड टेंशन बार/गेट रॉड्स/ट्रस रॉड्स/ड्रॉप के शुद्ध वजन का 1.10 किग्रा/किग्रा। निर्यात उत्पाद में अनगैल्वेनाइज्ड टेंशन बार/गेट रॉड्स/ट्रस रॉड्स/ड्रॉप के शुद्ध वजन का 1.05 किग्रा/किग्रा। निर्यात उत्पाद में अनगैल्वेनाइज्ड टेंशन बार/गेट रॉड्स/ट्रस रॉड्स/ड्रॉप के शुद्ध वजन का 1.03 किग्रा/किग्रा। निर्यात उत्पाद में स्टील सामग्री के वजन का 0.03 किग्रा/किग्रा।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: “हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड टेंशन बार/गेट रॉड्स/ट्रस रॉड्स/ड्रॉप रॉड्स” के निर्यात के लिए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) सी-676 को तत्काल प्रभाव से उपर्युक्त अनुसार पुनः स्थापित और संशोधित किया गया है।

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 22nd October, 2025

No. 27/2025-26

Subject: Reinstatement and amendment in Standard Input Output Norms (SION) C676 for export of “HOT DIPPED GALVANISED TENSION BAR/ GATE RODS/ TRUSS RODS/ DROP RODS”.

F. No.-01/81/171/00014/AM24-25/DES-II.— In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign

Trade hereby reinstates and amends the suspended Standard Input Output Norms (SION) C-676 for export of “**HOT DIPPED GALVANISED TENSION BAR/ GATE RODS/ TRUSS RODS/ DROP RODS**” as under:

SI NO	Item of Export	Quantity	Item of import	Wastage to be allowed
SION C676	HOT DIPPED GALVANISED TENSION BAR/ GATE RODS/ TRUSS RODS/ DROP RODS.	1000 KGS	RE-ROLLABLE SCRAP OF USABLE SCRAP/BILLET CUTTINGS OR MS BILLETS/BLOOMS OR NON-ALLOY STEEL WIRE RODS ZINC WITH PURITY OF 99.99%	1.10 KG/KG OF NET WEIGHT OF UNGALVANIZED TENSION BAR/GATE RODS/TRUSS RODS/DROP IN THE EXPORT PRODUCT. 1.05 KG/KG ON THE NET WEIGHT OF UNGALVANIZED TENSION BAR/GATE RODS/TRUSS RODS/DROP IN THE EXPORT PRODUCT. 1.03 KG/KG ON THE NET WEIGHT OF UNGALVANIZED TENSION BAR/GATE RODS/TRUSS RODS/DROP IN THE EXPORT PRODUCT. 0.03 KG/KG WEIGHT OF STEEL CONTENT IN EXPORT PRODUCT

2. Effect of this Public Notice:

Standard Input Output Norms (SION) C-676 for export of “**HOT DIPPED GALVANISED TENSION BAR/ GATE RODS/ TRUSS RODS/ DROP RODS**” is reinstated and amended as above with immediate effect.

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.